सत्यमेव जयते
भारत सरकार
Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

6th floor, 'B' Wing, Loknayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003.

फ़ाइल क्रमांक **False Certificate/1/UP/2017/RU-I** दिनाँक 03 /11/2017

सेवा में,

मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ,
उत्तर प्रदेश।

विषय: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, बस्ती, आजमगढ़, मऊ और बलिया जिलों के ब्राह्मण नायक और ब्राह्मण ओझा जाति के व्यक्तियों द्वारा गोंड जनजाति की उपजाति बनकर फर्जी तरीके से प्रमाणपत्र बनवाकर सरकारी नौकरियाँ प्राप्त करने के संबंध मे श्री अरविंद कुमार गोंड, राष्ट्रीय अध्यक्ष, दलित आदिवासी जीवन ज्योति फ़ाउंडेशन, नोएडा, उत्तर प्रदेश का अभ्यावेदन ।

महोदाय,

उपरोक्त विषय पर दिनांक 21/08/2017 को आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री नन्द कुमार साय के समक्ष हुई सिटिंग के कार्यवृत की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु आपको भेजी जा रही हैं। अनरोध हैं की कार्यवृत पर राज्य सरकार द्वारा की गयी / की जाने वाली कार्रवाई की रिपोर्ट आयोग को आविलम्ब भिजवाने का कष्ट करें।

भवदीय

(राजेश्वर कुमार)
सहायक निदेशक

प्रतिलिपि कार्यवृत की प्रति सहित:

1. श्री अरविंद कुमार गोंड,
   राष्ट्रीय अध्यक्ष, दलित आदिवासी जीवन ज्योति फ़ाउंडेशन, नोएडा
   पता: बी - 13/9, सैक्टर - 71,
   नोएडा, उत्तर प्रदेश।

2. एसएसए एनआईसीई, एनसीएसटी को आयोग की वैबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार

File No. False Certificate/1/UP/2017/RU-I

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, बस्ती, आजमगढ़, मऊ और बलिया जिलों के ब्राह्मण नायक और ब्राह्मण ओझा जाति के व्यक्तियों द्वारा गोंड जनजाति की उपजाति बनकर फर्जी तरीके से प्रमाणपत्र बनवाकर सरकारी नौकरियाँ प्राप्त करने के संबंध मे श्री अरविंद कुमार गोंड, राष्ट्रीय अध्यक्ष, दलित आदिवासी जीवन ज्योति फ़ाउंडेशन, नोएडा, उत्तर प्रदेश के अभ्यावेदन पर दिनांक 21/08/2017 को आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री नन्द कुमार साय के समक्ष हुई बैठक का कार्यवृत।

बैठक मे भाग लेने वालों की सूची --- अनुबंध 'क' पर।

श्री अरविन्द कुमार गोंड, राष्ट्रीय अध्यक्ष, दलित आदिवासी जीवन ज्योति फाउंडेशन, नोएडा, उत्तर प्रदेश ने अभ्यावेदन दिनांक 23/03/2017 आयोग को प्रस्तुत किया जिसमे उन्होने बताया की उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, महारजगंज, देवरिया, बस्ती, आजमगढ़, मऊ और बलिया जिलों के ब्राह्मण नायक व ब्राह्मण ओझा जाति के व्यक्तियों द्वारा गोंड जनजाति के फ़र्ज़ी प्रमाणपत्र बनवाकर सरकारी नौकरियाँ कर रहे हैं। श्री गोंड ने अभ्यावेदन में बताया हैं कि सन 2003 के बाद ब्राह्मण नायक व ब्राह्मण ओझा जाति के लोग गोंड जाति की उप जाति बन कर फ़र्ज़ी तरीके से जनजाति प्रमाणपत्र बनवाकर हज़ारों की संख्याओ मे सरकारी नौकरिया प्राप्त कर ली हैं जिससे अनुसूचित जनजाति के लोगो का सवैंधानिक अधिकार छिन रहा हैं।

इस प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही एवं रिपोर्ट हेतु सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की और से मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार तथा आयोग के माननीय अध्यक्ष की तरफ से मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश को अर्ध शासकीय पत्र क्रमशः दिनांक 13/04/2017 एवं 24/05/2017 भेजे गए।

मामले मे उत्तर प्रदेश सरकार से आयोग को कोई उत्तर / जानकारी प्राप्त नहीं हुई अतः आयोग के माननीय अध्यक्ष ने प्रकरण पर सुनवाई हेतु दिनांक 21/08/2017 को अपराह्न 2:30 बजे मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार के साथ बैठक निश्चित की। उक्तानुसार मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार को सिटींग नोटिस दिनांक 01/08/2017 को जारी किया गया।

चर्चा:

मामले मे श्री मनोज सिंह, प्रमुख सचिव एवं श्री केदारनाथ, विशेष सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार उक्त दिनांक को आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। अभ्यावेदक श्री अरविंद कुमार गोंड भी उपस्थित रहे। मामले पर विस्तृत चर्चा हुई।

चर्चा दौरान माननीय अध्यक्ष ने अभ्यावेदनकर्ता को प्रकरण स्पष्ट करने को कहा जिस पर अभ्यावेदक ने आयोग को अवगत कराया की उत्तर प्रदेश के 13 जिलों मे गोंड जनजाति निवास करती हैं जिसकी उप जाति नायक और ओझा हैं। जबकि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, बस्ती, गोंडा, आजमगढ़, मऊ और बलिया इत्यादि में ब्राह्मण नायक और ब्राह्मण ओझा जाति निवास करती हैं उक्त जाति के लोगों ने वर्ष 2003 से फर्जी जाति

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

प्रमाणपत्रों के आधार पर सरकारी नौकरियाँ प्राप्त कर ली हैं। इसी संबंध में अभ्यावेदक ने बताया की आयोग द्वारा वर्ष 2012 में उत्तर प्रदेश शासन को फर्जी प्रमाणपत्रों को निरस्त करने का निर्देश दिया गया था जिस पर उत्तर प्रदेश शासन ने लगभग 4300 फर्जी प्रमाणपत्र निरस्त किए हैं। चर्चा के दौरान अभ्यावेदक ने उक्त फर्जी प्रमाणपत्रों को गोरखपुर, मऊ, आजमगढ़, देवरिया जिलों मे उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निरस्त करने के आदेशों का भी हवाला दिया ।

प्रकरण पर माननीय अध्यक्ष ने प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार से स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा जिस पर प्रमुख सचिव ने आयोग को प्रस्तुत किया की उत्तर प्रदेश शासन उक्त प्रकरण पर कार्यवाही के लिए सजग हैं। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा फर्जी जाति प्रमाणपत्र जारी कराने वालों की तहतीकात की जा रही हैं। इस संबंध में जाति प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये हुए हैं। प्रमुख सचिव ने माननीय अध्यक्ष को अवगत कराया की जैसे ही फर्जी प्रमाणपत्र धारकों की शिकायत प्राप्त होती हैं समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तुरंत कार्यवाही के निर्देश दे दिये जाते हैं। प्रमुख सचिव ने आयोग को सूचित किया की उक्त संबंधित मामलों पर राज्यस्तरीय अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र सत्यापन छानबीन समिति भी कार्यवाही हेतु सतर्क हैं। उन्होनें सूचित किया कि ब्राह्मण नायक एवं ब्राह्मण ओझा जाति के कुछ लोगों ने न्यायलय से स्टे ऑर्डर प्राप्त कर रखा हैं।

प्रमुख सचिव ने आश्वासन दिया की उत्तर प्रदेश के कथित जिलों मे ब्राह्मण नायक एवं ब्राह्मण ओझा जाति के व्यक्तियों द्वारा फर्जी अनुसूचित जनजाति के प्रमाणपत्र बनवाने तथा सरकारी लाभ प्राप्त करने के मामलों की गंभीरता से जांच कराएंगे।

संस्तुति

प्रकरण पर चर्चा उपरांत आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को सलाह दी जाती हैं कि : -

1. इस मामले मे ब्राह्मण नायक एवं ब्राह्मण ओझा जाति के लोगों द्वारा न्यायलय से लिए गए स्टे ऑर्डर को खारिज़ कराया जाये।
2. इस मामले मे जारी सभी अनुसूचित जनजाति के फर्जी जाति प्रमाणपत्र निरस्त किए जाये।
3. फर्जी प्रमाणपत्र धारकों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज़ कारवाई जाये।
4. फर्जी प्रमाणपत्र धारकों को सरकारी पदों से पदच्युत किया जाये।
5. समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस मामले मे एक विस्तृत पत्र जनजातिय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को लिखा जाये जिसमे संवैधानिक आदेश 2002 संदर्भित किया जाये।
6. मामलें में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कार्यवाई कर, अनुपालन रिपोर्ट आयोग को अविलम्ब प्रस्तुत की जाये।

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

F. No. False Certificate/1/UP/2017/RU-I Date: 21/08/2017

अनुबंध - क

सिटिंग मे भाग लेने वालों की सूची

क्रम संख्या	नाम और पद
-3- **I**	**राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**
1.	श्री नन्द कुमार साय माननीय अध्यक्ष
2.	कुमारी अनुसूईया ऊईके माननीय उपाध्यक्ष
3.	श्री एच के डामोर माननीय सदस्य
4.	श्री हर्षदभाई वसावा माननीय सदस्य
5.	श्री राघव चंद्रा सचिव
6.	श्री शिशिर कुमार रथ संयुक्त सचिव
7.	श्री पी टी जेम्सकुट्टी उप सचिव
8.	श्री राजेश्वर कुमार सहायक निदेशक
9.	श्री एच आर मीना वरिष्ठ अन्वेषक
II	**समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार**
1.	श्री मनोज सिंह, प्रमुख सचिव
2.	श्री केदारनाथ, विशेष सचिव
III	**याचिकाकर्ता**
1.	श्री अरविंद कुमार गोंड

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi